बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

5 अप्रील2023

[**सामान्य प्रशासन** - **राजस्व एवं भूमि सुधार** - **पर्यटन** - **नगर विकास एवं आवास** - **सहकारिता** - **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** - **सूचना एवं जनसम्पर्क** - **आपदा प्रबंधन** - **मंत्रिमंडल सचिवालय** - **निगरानी** - **निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी**].

कुल प्रश्न 37

सड़क का निर्माण

***37 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम नगर निगम के आरा गुमटी से तकिया गुमटी तक सड़क अभी तक क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि पोस्ट ऑफिस ओवरब्रिज जाम होने की स्थिति में वाहन बगल से आरा गुमटी से कच्ची सड़क से गुजरती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा गुमटी से तकिया गुमटी तक सड़क निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

***37 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम नगर निगम के आरा गुमटी

से तकिया गुमटी तक सड़क अभी तक क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि पोस्ट ऑफिस ओवरब्रिज जाम होने की स्थिति में वाहन बगल से आरा गुमटी से कच्ची सड़क से गुजरती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा गुमटी से तकिया गुमटी तक सड़क निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*179 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिले में धान की खरीदारी का लक्ष्य 2.51 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है, 15 फरवरी तक ही खरीदारी की अंतिम तिथि निर्धारित है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी 27 प्रखंडों में समितियों के माध्यम से धान की खरीदारी 15 नवंबर, 2022 से चल रही है, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण धान की अधिप्राप्ति 50 प्रतिशत से भी कम है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद सुनिश्चित करने हेतु सरकार कार्रवाई करना चाहती है इसमें विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है, नहीं तो क्यों?

तालाब को अतिक्रमण मुक्त

*403 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामगढ़, मौजा- नोनार के सरकारी तालाब का पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि खाता-286 और 287, प्लॉट नं.- 1217, 1432, 1783, रकबा 3 ए०17, 45 डी० और 3 एकड़, 12 डी० का कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा किया जा रहा है जिसके कारण पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण जनता को पटवन और खेती-बाड़ी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामगढ़, मौजा- नोनार के सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त

कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पाइप लाइन एवं नल की मरम्मती

*504 **श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के नगर परिषद्, झंझारपुर के वार्ड नं०- 12 एवं 13 का जलापूर्ति कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जलापूर्ति में पाइप लाइन नल की मरम्मती नहीं करने से वहां के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि रख-रखाव की जिम्मेवारी भी बुडको को ही दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाइप लाइन एवं नल की मरम्मती यथाशीघ्र करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

*578 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिले के चकिया प्रखंड अंतर्गत सीताकुंड धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है;

(ख) क्या यह सही है कि इस स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य एवं इसकी रमणीयता को देखते हुए इसे बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने से इस क्षेत्र का विकास होगा एवं आसपास के लोगों के जीवन में भी समृद्धि आयेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीताकुंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई

*579 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखंड एवं अंचल के अधीन

ग्राम पंचायत राज बसुआरी के अन्तर्गत ग्राम- बसुआरी, थाना नं०- 173 में अवस्थित, खाता- 361 पुराना एवं नया- 1100, खेसरा- 583 पुराना एवं नया- 1125, रकवा- 87 डिसमिल, खेसरा- 597, पुराना एवं नया- 1127, रकवा- 425 डिसमिल तथा खेसरा- 598 पुराना एवं नया- 1126, रकवा- 25 डिसमिल से संबंधित सम्पूर्ण भू-खण्ड गैर-मजरूआ आम परती कदीम सरकारी जमीन है, जिसे स्थानीय भू-माफियाओं ने स्थानीय संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन की चोरी कर ली है तथा खेसरा- 598 पुराना एवं नया- 1126 रकवा- 25 डिसमिल आम रास्ता को छोड़ शेष सभी भू-खण्ड से संबंधित भू-अभिलेख को सरकारी दस्तावेज से गायब कर दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचल अधिकारी, घोघरडीहा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा ने इस आशय का अपने पत्रांक- 1290, दिनांक- 03.08.2021 के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा समाहरणालय, मधुबनी को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर चोरी की गई जमीन को बरामद करने, सरकारी भू-अभिलेखों को दुरूस्त करने तथा पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं भू-माफियाओं को दण्डित करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कौन सी और कबतक और नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*580 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के बिनोदपुर ग्राम के जीतेन्द्र पासवान, पेसर- रविन्द्र पासवान की केवाला जमीन थाना नम्बर- 371, खाता संख्या- 54, खेसरा संख्या- 847 एवं 846, रकबा- 01 कट्ठा 01 धुर पर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि रैयती भूमि पर सकलदेव ठाकुर, पेसर सुखदेव ठाकुर ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिला प्रशासन को लिखित एवं मौखिक आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक एक अनुसूचित जाति के परिवार की केवाला जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाएगी?

निरस्त करने का विचार

*581 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नरहट अंचल के ग्राम – करमा में बालू के

नाम पर खतियान में दर्ज धनार्जेय नदी की भूमि में विद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नरहट के अंचलाधिकारी ने खनन विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना यह बालू भूमि प्रस्तावित की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पार्क का निर्माण

*582 **श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी एवं शिवहर शहर में एक भी पार्क नहीं है, शहर के सौंदर्यीकरण हेतु पार्क का निर्माण कराया जा सकता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सीतामढ़ी एवं शिवहर शहर के सौंदर्यीकरण हेतु पार्क का निर्माण कराना चाहती है?

कार्य पूरा करने हेतु कार्रवाई

*583 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में चल रही कई परियोजनाओं, जैसे सड़क निर्माण, रेलवे लाइन निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण, बस स्टैंड निर्माण इत्यादि के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के कई जिलों के भू-अर्जन पदाधिकारियों ने मनमाने एवं गलत तरीके से भूमि की प्रकृति बदल दी है, जिस कारण परियोजनाओं की लागत भी बढ़ गई है एवं कार्य पूरा होने में अनावश्यक विलंब भी हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है?

निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ

***584 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **मंत्रिमंडल सचिवालय** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सीमांचल क्षेत्र स्थित सर्वाधिक प्राचीन जिला पूर्णिया में 2015 में प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट चालू करने की घोषणा की थी जिसके तहत 52.18 एकड़ जमीन पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई, किन्तु अभी तक एयरपोर्ट स्थापित नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव के ज्ञापांक- सि.वि.नि. (विविध) 04/2015-215 पटना, दिनांक- 14.11.2022 के तहत जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को अधिग्रहित भूमि का हस्तानांतरण प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करने के लिए अनुशंसा की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णिया में एयरपोर्ट की स्थापना हेतु संबंधित मंत्रालय को त्वरित प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

***585 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला अंतर्गत बड़हिया स्थित स्थापित सफेद संगमरमर का 151 फीट ऊंचा सिद्ध मंगलापीठ मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर भारतवर्ष का गंगा किनारे एक मात्र मंगलापीठ है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मंदिर की स्थापना मां वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के संस्थापक पंडित श्रीधर ओझा जी जैसे महान संत के द्वारा की गई है, यहां प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन करते हैं लेकिन पर्यटक के लिए सुविधा न मिलने से पर्यटकों को परेशानी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर बिहार न्यास बोर्ड से निबंधित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़हिया स्थित उक्त मंगलापीठ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

फसल सहायता योजना हेतु आवेदन

***586**	**श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के किसानों के लिए फसल सहायता योजना राज्य में लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि भोजपुर एवं बक्सर जिला के काफी किसानों के द्वारा उक्त योजना से सहायता हेतु आवेदन किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भोजपुर एवं बक्सर जिला के किसानों के अधिकांश आवेदनों को विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते रद्द कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर एवं बक्सर जिला के किसानों द्वारा फसल सहायता योजना हेतु दाखिल आवेदनों की दुबारा जांच कर सही आवेदनों को स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

किचेन गार्डेन के रूप में आवंटन

***587**	**डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना में स्थित मध्यम आय वर्गीय मकान संख्या- 200 एवं 211 की बगल में आवास बोर्ड की जमीन है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन में से आधा भाग मकान संख्या 200 के आवंटी को किचेन गार्डेन के रूप में आवंटित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि आधी शेष बची जमीन मकान संख्या- 211 की आवंटी स्व. सुदामा देवी, पति- स्व. विश्वनाथ गुरमैता, पूर्व स.वि.प. एवं पूर्व स.वि.स. के नाम आवेदन देने के बावजूद आजतक किचेन गार्डेन के रूप में आवंटित नहीं किया गया है, जो आवास बोर्ड की दोहरी नीति का द्योतक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व. सुदामा देवी को शेष बची आधी जमीन किचेन गार्डेन के रूप आवंटित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अस्थायी डीलर की नियुक्ति

***588**	**डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखण्डान्तर्गत, ग्राम पंचायत राज बसुआरी के वार्ड नं.- 10 में जनवितरण प्रणाली के विक्रेता (डीलर) की अनुज्ञप्ति मई 2019 से निलंबित रहने के कारण इसके पोषक क्षेत्र वार्ड नं.- 9, 10, 11, 12 एवं 13 के सभी लाभुक करीब 3 कि.मी. पैदल चलकर अपने खाद्यान्न का उठाव करने हेतु वार्ड नं.- 14 (अलोला) में अवस्थित विक्रेता के यहां जाने हेतु विवश है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति वार्ड नं.- 9, 10, 11, 12 एवं 13 के लाभुकों के लिए निलंबित अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर वार्ड नं.- 10 में खाद्यान्न उठाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी तौर पर विक्रेता की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्थायी स्वामित्व एवं सुरक्षा

***589 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड दिनारा में पंचायत बलिया के गांव नटवार में काफी संख्या में महादलित परिवार रहते हैं जिनमें डोम, चमार, मुसहर आदि भूमिहीन बी.पी.एल. जाति के लोग हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त परिवार के लोग 1942-43 से अपनी जमीन थाना नं.- 226, खाता नं.- 153, प्लॉट नं.- 689, रकबा-3 एकड़ 39 डिसमिल तथा प्लॉट नं.- 489, खाता नं.- 153, रकबा- 1 एकड़ 25 डिसमिल है जिसमें लोग घर बनाकर रह रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव के दबंगों एवं राजस्व विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उक्त महादलित परिवार के लोगों को घर खाली करने एवं जमीन से बेदखल करने के लिए बार-बार धमकी दी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव के स्थायी महादलित परिवार को जमीन का स्थायी स्वामित्व दिलाने एवं उनकी सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

***590 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के नौसहा मौजा, फुलवारी शरीफ अंचल के हलका नौसहा में खाता संख्या- 185, प्लॉट संख्या- 995 है;

(ख) क्या यह सही है कि खाता संख्या- 185, प्लॉट संख्या- 995 में जावेद अख्तर,

पिता- अनवर आलम, पता रोड नं.- 1, शकूर कॉलोनी, राजा बाजार, समनपुरा, पोस्ट- बी.भी. कॉलेज, पटना- 14 ने कुल- 2.0310 डिसमिल जमीन की खरीद दिसम्बर 2021 में की;

(ग) क्या यह सही है कि श्री जावेद अख्तर के नाम उक्त जमीन का दाखिल-खारिज दो बार किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो श्री जावेद अख्तर के नाम से हुई दो दाखिल-खारिज में एक को तत्काल रद्द कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समरसेबुल बोरिंग कब तक

*591 **श्री संजय पासवान (विधान सभा)ः**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पटना शहर स्थित हार्डिंग रोड के पीछे सड़क एवं सचिवालय हॉल्ट है, जहां लगभग 10 हजार कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों से काम करने के लिए आते रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 15 नं० रोड में पुल बनाने के क्रम में सप्लाई पानी का पाइप और दूसरा, इसके बाद हार्डिंग रोड और बैक हार्डिंग रोड के बीच के नाले बनाने के क्रम में ठेकेदार द्वारा सप्लाई पानी का पाइप नष्ट कर दिया गया है जिसके कारण 15 वर्षों से सप्लाई का पानी बंद है जिससे लगभग 10 हजार विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों के लिए पेयजल मात्र झोपड़पट्टी के खुले दरवाजा से उपलब्ध होता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्थिति में क्वार्टर नं०- 4 के पास शुद्ध पेय जल आपूर्ति हेतु दिनांक- 04.04.2022 को स्थानीय लोगों द्वारा माननीय विधायक, दीघा विधान सभा क्षेत्र, पटना को एक समरसेबुल बोरिंग करवाने के लिए आठ महीने पहले एक आवेदन दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित स्थिति में हार्डिंग रोड के पीछे बैक हार्डिंग रोड में क्वार्टर नं०- 04 के पास शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक समरसेबुल बोरिंग करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पर्यटन स्थल विकसित कबतक

*592 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा)ः**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अन्तर्गत पेश पंचायत के

ग्राम धनियांवा स्थित धनियांवा पहाड़ी एक पर्यटन स्थल है, जहां हजारों सैलानी घूमने आते हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उसका पर्यटन स्थल के रूप में समुचित विकास करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अर्धनिर्मित कार्य को पूर्ण कराना

*593 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री शहरी पक्की गली-नाली निश्चय योजना अंतर्गत किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत के वार्ड संख्या- 09 में श्री कृष्ण मंदिर से धाम तक पेवर ब्लॉक सह आर.सी.सी. नाला निर्माण होना था, लेकिन सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य मनमाने ढंग से कर अर्धनिर्मित ही छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अर्धनिर्मित कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

सरकारी भूमि घोषित

*594 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हलका कचहरी में उपलब्ध राजस्व कागजातों की जांच की गई, जांच में मौजा- चानपुर पट्टी थाना सं.- 111 अंतर्गत खाता सं.- 126, खेसरा- 360, रकबा 58-13-15 का पुराना (15) खतियान से मिलान के उपरान्त यह भूमि गैर मजरूआ मालिक किस्म तालाब रजवामोइन खतियान में दर्ज है जो सरकारी खैरात है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का नया सर्वे (C.S.) खतियान में खाता संख्या- 254, खेसरा- 759, रकबा- 47.11 एकड़ किस्म रजवा मोईन अनावाद बिहार सरकार में दर्ज है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रश्नगत खेसरा में भी कुछ अंश रकवा का किसी भी रैयत के साथ भूमि बन्दोबस्ती संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रश्नगत खेसरा की भूमि की बन्दोबस्ती का दावा निराधार है;

(घ) क्या यह सही है कि जमाबंदी सं.- 18, 19 एवं 79 का हलका में उपलब्ध पंजी 2 से

मिलान करने पर स्पष्ट होता है कि जमाबंदी के पृष्ठ पर खाता खेसरा अंकित नहीं है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमाबंदी संख्या- 18,19 एवं 79 को रद्द करते हुए प्रश्नगत खेसरा को सरकारी भूमि (सैरात) घोषित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन का अधिग्रहण

*595 **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी केन्द्रीय विद्यालय मोतिहारी हेतु कितनी भूमि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि आवंटित भूमि में से कितने का अधिग्रहण हुआ एवं कितनी भूमि का अधिग्रहण शेष है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक जमीन का अधिग्रहण करेगी?

मंदिरों का सौंदर्यीकरण

*596 **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत उमगा पहाड़ पर उमगेश्वरी मंदिर स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उमगेश्वरी मंदिर राज्य में एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत 4 साल पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री जी का उमगा प्रवास के दौरान उमगा पहाड़ स्थित मंदिरों के बारे में जानकारी ली गई तत्पश्चात उक्त पहाड़ के सौंदर्यीकरण की घोषणा के साथ रोपवे लगवाने का भी आश्वासन दिया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि उमगा पहाड़ पर स्थित मंदिर धरातल से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उमगा पहाड़ पर स्थित प्राचीन कालीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ रोपवे लगाने के विचार रखती

है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नीतिगत निर्णय कबतक

***597 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के अररिया संग्राम में निर्मित मिथिला हाट एक बहूद्देश्यीय परियोजना है जिसका संबंध मिथिला के हस्तशिल्प के विपणन सहित क्षेत्र के पर्यटन विकास आदि से भी है और करोड़ों रुपया खर्च कर इसे विकसित कर माननीय मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन करवाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस हाट के संचालन के लिए नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाने के कारण उद्घाटन के बाद से ही यह हाट लगभग बंद रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि अबतक इस हाट से न तो हस्तशिल्पियों को लाभ हुआ है और न ही इसकी कमाई से सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह सही है कि यदि इस पर शीघ्र और समेकित निर्णय नहीं लिया गया तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सफेद हाथी बननेवाले इस मिथिला हाट पर खर्च होकर रह जाएगा और राज्य को इससे कोई लाभ नहीं होगा;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिथिला हाट के प्रचालन और सफल संचालन के लिए नीतिगत निर्णय लेना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दखल कब्जा कबतक

***598 श्री जनक राम (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिलों में सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान सरकारी भूमि सुयोग्य श्रेणी के परिवार / व्यक्ति को आवंटित कर उन्हें उक्त भूमि का पर्चा जिला स्तर से दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि जिन परिवारों के व्यक्ति को अधिशेष घोषित भूमि, भूदान सरकारी भूमि का पर्चा दिया गया है, उक्त आवंटित भूमि बहुत से मामले में पर्चाधारी के दखल कब्जा में नहीं है तथा उक्त पर्चा की भूमि पर दबंगों का कब्जा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उन सभी अधिशेष घोषित भूमि, भूदान सरकारी भूमि के पर्चाधारियों को कबतक दखल कब्जा दिलाने का

विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

शीघ्र निष्पादन

*599 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम जिला में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित कई मामले अभी तक लंबित हैं और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी को अभी तक सरकारी नौकारी नहीं दी जा सकी है;

(ख) क्या यह सही है कि कई मामलों में सामान्य कोटि की महिला एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामला में उम्र सीमा में अंतर नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार के नियमानुसार उम्र क्षान्त करने का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमानुसार सही पाए जानेवाले ऐसे सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन करना चाहती है ताकि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था का लाभ मिल सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नीतियों को लागू

*600 **श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के 24 निकाय चुनाव फिलहाल स्थगित किए गए, इन सभी नगर निकायों के चुनाव कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद कम से कम 6 महीने के भीतर कराए जाने चाहिए थे लेकिन अब एक साल होने जा रहा है, इन रिक्त स्थानों पर कबतक चुनाव कराया जा सकेगा;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार अगर समय पर चुनाव कराने में असक्षम थी तो इनमें कार्य व्यवस्था के संचालन के लिए कमिटी का गठन क्यों नहीं किया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभी बजट सत्र है, क्या सरकार इन निकायों के लिए बजट पास नहीं करेगी, फिर इन सभी निकायों के लिए बजट का प्रस्ताव करना, सरकार की नीतियों को लागू करना, जनहित के सवालों का समाधान करना इत्यादि अनसुलझे सवाल है?

पर्यटन स्थल घोषित

***601 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड में अति प्राचीन कपिलेश्वर स्थान (महादेव मंदिर) अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर लगभग 200 साल पुराना एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर में श्रावण महीने में पावन मौके पर ऐतिहासिक मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कपिलेश्वर स्थान (मधुबनी) को पर्यटन की दृष्टि से विकास करते हुए पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित

***602 श्री अनिल कुमार (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के खुसरूपुर में बैकटपुर शिव मंदिर नागरिकों के लिए आस्था का केन्द्र है तथा लोग इसे बैकुण्ठ धाम के रूप में मानते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पर्यटन की दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

परीक्षा का आयोजन

***603 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा शल्य कक्ष सहायक (ओटी असिस्टेंट) के कुल 1096 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 02.08.2022 से दिनांक- 01.09.2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित पदों की परीक्षा का आजतक आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों में काफी मायूसी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित पदों पर यथाशीघ्र साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण से मुक्त

*604 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला अन्तर्गत एकंगरसराय अंचल की ग्यासपुर पंचायत के मौजा सादिकपुर के खाता सं.- 117, प्लॉट संख्या- 180, प्लॉट संख्या- 507 तथा प्लॉट संख्या- 321 जल निकाय/स्रोत नदी, पईन आदि की गैरमजरूआ सर्व साधारण भूमि है जिसे कुछ लोगों ने अतिक्रमित कर लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मौजा के खाता संख्या- 117 के प्लॉट संख्या- 180 एवं 507 की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए श्री सिद्धेश्वर प्रसाद द्वारा पटना उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 9922/22 दायर किया गया था जिसके फैसले का अनुपालन नहीं किया गया है, अतिक्रमण अबतक कायम है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमानुसार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

*605 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला मुख्यालय स्थित सैदपुर नाला पूर्णतः खुला हुआ है और गंदगी का अम्बार नाला में लगा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि नाला पूर्णतः खुला होने के कारण हमेशा मोटरसाईकिल सवार, मोटरगाड़ी वाले नाला में गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि नाला सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है और करोड़ों रुपये सरकार के व्यय हो जाते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सैदपुर नाला

की पूर्णतः पाटकर, बीच में होल की व्यवस्था करते हुए सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

***606 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कटिहार शहर में जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु दिनांक- 02.06.2022 को 220 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर योजना की निविदा JAYANTI SUPER OR SAI ENGICON, JV को दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं का कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है और जल-जमाव से आमजनों को काफी परेशानी होती है, बरसात के समय में जल-जमाव के कारण लोगों को घर से निकलने, बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने एवं मरीजों को अस्पताल जाने में काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार शहर में दिनांक- 02.06.2022 को 220 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर योजना की जो निविदा JAYANTI SUPER OR SAI ENGICON, JV को दी गई थी परन्तु जिसका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कचरा उठाव के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी

***607 श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मार्च 2021 में बिहार राज्य के कई नगर परिषद् को उत्क्रमित कर नगर निगम का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अधिसूचना के बाद कचरा उठाव, साफ सफाई का कार्य कोई आउटसोर्स एजेंसी कर रही है तो इन आउटसोर्सिंग एजेंसी का इस कार्य के लिए चयन एवं अनुबंध का तरीका अलग-अलग नगर निगमों में क्या रहा है, इनसे संबंधित दिशा निर्देश क्या हैं और इनके वित्तीय भुगतान, श्रमबल नियोजन, यंत्र व वाहन उपयोग एवं आवश्यकता की विवरणी क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि अन्य नव अधिसूचित नगर निगम एवं समस्तीपुर नगर निगम के कचरा उठाव एवं साफ-सफाई के आउटसोर्सिंग कार्य में वित्तीय नियोजन/खर्च, श्रम

बल नियोजन, यंत्र वाहन उपयोग एवं इसकी शर्त, एजेंसी के चयन एवं अनुबंध की प्रक्रिया में कोई अंतर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या विभाग इन अंतर से परिचित है और इसे विधि सम्मत मानता है तो इसका आधार क्या है?

सड़क का निर्माण

*608 **श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम अंतर्गत वार्ड सं.- 30 के इन्द्रपुरी सिपारा से हिन्दनगर होते हुए प्रगतिनगर को जोड़ने वाली सड़क अभी तक कच्ची है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के कच्ची रहने के कारण बरसात के दिनों में सड़क पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय निवासियों को नरक जैसी हालत का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ के नाला सहित पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तालाब का जीर्णोद्धार

*609 **श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिला की राजगीर नगर पंचायत में नवसृजित वार्ड सं.- 7 एवं 8 के ग्राम पंडितपुर में स्थित तालाब, जिसका कुल रकबा- लगभग 5.00 एकड़ है, चारों तरफ से गंदगी से भरा पड़ा है एवं नाला का पानी भी इसी तालाब में गिरता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित तालाब की सफाई, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?